# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना/स्था/2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री हरिराम राठौड, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, केशवना, सायला जिला जालौर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इटादा, चितलवाना जिला जालौर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री राठौड द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 15103/2019 हरिराम राठौड बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 15103/2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2019 द्वारा याचिकार्थी श्री हरिराम राठौड को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों एवं याचिकार्थी की निकट सेवानिवृति को मद्देनजर रखते हुए उस पर सहानुभूतिपूर्व विचार कर 30 दिवस के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपने नवीन स्थानान्तरित स्थान के करीब 200 किमी दूर होने को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन जालौर जिले में प्रधानाचार्य के रिक्त पद राउमावि गोदन, राउमावि आलासन, सायला अथवा राउमावि नारणावास, जालौर किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त स्थानान्तरण आवेदनों में रिक्त पद पर प्राथमिकता से स्थानान्तरण किये जाने के निर्देश प्राप्त थे। याचिकार्थी का प्रकरण उक्त प्रकरणों से भिन्न है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिल्पी बोस बनाम बिहार सरकार व अन्य प्रकरण में पारित निर्णयानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र किये गए स्थानान्तरण आदेशों से किसी भी लोकसेवक के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं होता। याचिकार्थी राज्य शिक्षा सेवा के राजपत्रित अधिकारी हैं और उन्हें प्रशासकीय आवश्यकता, विभागीय प्राथमिकता, छात्र एवं राज्य हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। याचिकार्थी को जालौर जिले में ही पदस्थापित किया गया है, किसी अन्य जिले में नहीं। गृह जिले में ही पदस्थापित होते हुए भी याचिकार्थी द्वारा अन्यत्र स्थान पर समायोजित किये जाने की मांग तर्कसंगत नहीं है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिल्पी बोस बनाम बिहार सरकार प्रकरण में अवधारित किया गया है कि ***"A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred/posted from one place to the other. Transfer Orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights. Even if a transfer Order is passed in violation of executive instructions or Orders, the Courts ordinarily should not interfere with the Order instead affected party should approach the higher authorities in the Department. If the Courts continue to interfere with day-to-day transfer Orders issued by the Government and its subordinate authorities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public inteterest"***

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी श्री हरिराम राठौड़ द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। श्री हरिराम राठौड को निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में तत्काल अपने स्थानान्तरित स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ईटादा, चितलवाना जिला जालौर में प्रधानाचार्य के पद पर दिनांक 19.10.2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

**क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/हरिराम राठौड/15103/2019 दिनांक** 16.10.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, पाली संभाग, पाली।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, जालौर को निर्देशित किया जाता है कि वे श्री हरिराम राठौड के निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके विरूद्ध सीसीए–17 नियमान्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जालौर।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सायला जिला जालौर को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जालौर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री हरिराम राठौड, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ईटादा, चितलवाना जिला जालौर।
11. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, केशवना, सायला जिला जालौर।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

16.10.19
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)